सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/DEV-7334/MCOL/87/2026-RU-IV** **दिनांक: 22.07.2026**

**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,**
नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड (NCL),
सिंगरौली, मध्य प्रदेश 486888
ई-मेल: cmd.ncl.cil@coalindia.in

**विषय: नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के निराकरण संबंध में श्री संत कुमार मार्को, महासचिव, कोल इंडिया एस.सी./एस.टी. इम्पालाइज एसोसिएशन (सिस्टा), दूधीचुआ कॉलोनी, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश का दिनांक 25.02.2026 का पत्र।**

**महोदय/महोदया,**

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

**संलग्न: यथोपरि.**

**भवदीय**

**(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)**
**निदेशक/Director**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

**श्री संत कुमार मार्को,**
महासचिव,
कोल इंडिया एस.सी./एस.टी. इम्पालाइज एसोसिएशन (सिस्टा),
दूधीचुआ कॉलोनी, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
## NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

**पत्रावली संख्या - NCST/DEV-7334/MCOL/87/2026-RU-IV**

**नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं एवं अन्य सामाजिक मुद्दों के निराकरण के संबंध में श्री संत कुमार मार्को, महासचिव, कोल इंडिया एस.सी./एस.टी. एम्प्लॉइज एसोसिएशन (CISTEA), जिला-सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।**

**सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026**
**सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।**

2. श्री संत कुमार मार्को, महासचिव, कोल इंडिया एस.सी./एस.टी. एम्प्लॉइज एसोसिएशन (CISTEA), सिंगरौली द्वारा दिनांक 25.02.2026 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के माध्यम से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया। अभ्यावेदन में पदोन्नति में कथित अनियमितता, आवास आवंटन में आरक्षण रोस्टर का पालन न किए जाने, संगठन को विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व न दिए जाने, बैकलॉग रिक्तियों की पूर्ति, भर्ती में आरक्षण, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक भवन निर्माण तथा अन्य सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दों सहित कुल 11 बिंदुओं पर शिकायतें प्रस्तुत की गईं।

3. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 08.04.2026 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL), सिंगरौली को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। आयोग को सुनवाई के दौरान दिनांक 14.06.2026 का विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

4. जांच प्रतिवेदन में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित सभी 11 बिंदुओं पर क्रमवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि भगवान बिरसा मुंडा एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर संस्थानों/स्थलों का नामकरण भविष्य में आवश्यकता एवं नीतिगत निर्णयों के अनुसार विचारार्थ लिया जाएगा। दुद्धीचुआ परियोजना में "भगवान बिरसा मुंडा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स" का नामकरण किए जाने का भी उल्लेख किया गया।

5. संगठन को विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के संबंध में यह अवगत कराया गया कि NCL में लागू "कोड ऑफ कंडक्ट" के अनुसार केवल ऐसे श्रमिक संगठनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है जिनकी सदस्यता 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो। पदोन्नति एवं आवास आवंटन में आरक्षण रोस्टर के पालन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि आरक्षण रोस्टर एवं रजिस्टरों का संधारण प्रचलित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है तथा उनकी नियमित समीक्षा संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) द्वारा की जाती है।

6. प्रबंधन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि फार्मासिस्ट पदों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

का निर्धारण लागू आरक्षण प्रतिशत एवं उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2025 की भर्ती में कुल 05 पद होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पृथक पद आरक्षित नहीं हो सका, जबकि वर्ष 2023 की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एक पद आरक्षित था। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं रोजगार संबंधी मामलों में कोल इंडिया लिमिटेड की R&R नीति, 2012 के प्रावधानों का समान रूप से पालन किए जाने की जानकारी दी गई।

7. भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग को मध्यप्रदेश राज्य के आरक्षण मानदंडों के अनुसार 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने की मांग के संबंध में NCL द्वारा अवगत कराया गया कि भर्ती में आरक्षण संबंधी नीतियां कोल इंडिया लिमिटेड स्तर पर निर्धारित की जाती हैं तथा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की कुल 05 बैकलॉग रिक्तियां (अनुसूचित जनजाति-03 एवं अनुसूचित जाति-02) उपलब्ध हैं, जिनमें से 04 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।

8. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) एवं अन्य प्रतिनिधिगण आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदक सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान NCL के प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए यह अवगत कराया गया कि संगठन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर प्रबंधन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है तथा प्रचलित नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

9. प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, NCL द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच प्रतिवेदन तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक पक्ष का अवलोकन करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि अभ्यावेदन में उठाए गए बिंदुओं पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। तथापि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन हेतु उक्त प्रतिवेदन पर अभ्यावेदक की टिप्पणियां प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

**प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गई –**

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.06.2026 के विस्तृत जांच प्रतिवेदन की प्रति अभ्यावेदक श्री संत कुमार मार्को को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु प्रेषित की जाए। अभ्यावेदक से प्राप्त टिप्पणियों एवं प्रत्युत्तर के परीक्षण के उपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

**(अंतर सिंह आर्य)**
**अध्यक्ष**
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

********

फाइल. सं. NCST/DEV-7334/MCOL/87/2026-RU-IV

दिनांक: 17.06.2026

विषय: नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के निराकरण संबंध में श्री संत कुमार मार्को, महासचिव, कोल इंडिया एस.सी./एस.टी. इम्पलाइज एसोसिएशन (सिस्टा), दूधीचुआ कॉलोनी, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश का दिनांक 25.02.2026 को प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | दूरभाष नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अंतर सिंह आर्य | माननीय अध्यक्ष | अध्यक्षता | |
| 2 | श्री पूर्णेंदु कान्त | निदेशक | | |
| 3 | श्री शिव प्रकाश | वरिष्ठ अन्वेषक | | |
| 4 | श्री विवेका नंद शुक्ला | अन्वेषक | | |

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL), सिंगरौली, मध्य प्रदेश 486888

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | दूरभाष नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | समीर बारला | महाप्रबंधक (मा.सं.) LO | 7974571384 | [signature] 17.06.26 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | दूरभाष नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |